Campaign for Survival and Dignity (CSD)

इज्जत से जीने का अधिकार अभियान

वन अधिकार क़ानून और पेसा क़ानून के गैर-केंद्रीकृत, लोकतांत्रिक और वैधानिक संस्थागत ढांचे को कमजोर करना बंद करे सरकार।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वन अधिकार और पेसा क़ानून के लिए गठित टास्क फोर्स को भंग किया जाए

6 मई 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में वन अधिकार क़ानून (FRA) और पेसा क़ानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है- जिसने 5 नवंबर 2024 को इसी तरह के टास्क फोर्स का गठन किया था। ओडिशा भी अब PESA और FRA के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन पर विचार कर रहा है, जिसे वहां के राज्यपाल ने 2 मई 2025 को अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रस्ताव किया था ।

समीक्षा करने में हम पाएंगे की वास्तव में ये टास्क फोर्स वन अधिकार अधिनियम (FRA) के वैधानिक, लोकतांत्रिक और गैर-केंद्रीकृत ढांचे के संस्थागत हनन और उन्हें कमजोर करने का एक ज़रिया है - ये वन अधिकार और पेसा क़ानून को एक तकनीकी नौकरशाहीकरण और इन कानूनों के संस्थागत व राजनैतिक अपहरण के उद्देश्य की एक व्यापक रणनीति को दर्शाते हैं। एक बात जो इन दोनों टास्क फोर्स में सामन्य है वो ये की इन दोनों में राष्ट्रीय स्वंसेवक संघ (आरएसएस) के सहयोगी संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम (ABVKA) के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा २०२१ में जनजातीय विकास, वन एवं वन्यजीव प्रबंधन, और लघु वन उत्पाद पर गठित पिछली टास्क फोर्स के विपरीत, ये टास्क फोर्स कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं और मुद्दों की जांच, पहचान और सलाह देने वाली संस्था नहीं हैं, बल्कि वास्तव में वैधानिक निकायों को दरकिनार करने और प्रभावी रूप से भंग करने के लिए एक उच्च-स्तरीय कार्यकारी एजेंसी के रूप में गठित हुई हैं।

पिछले 20 वर्षों में, उच्च स्तरीय वैधानिक निकाय, चाहे वह वन अधिकार क़ानून के तहत हो या पेसा के , ग्राम सभा जैसे अत्यंत सक्रिय प्राथमिक वैधानिक निकाय के विरोधी या उनके प्रति अनुत्तरदायी रहे हैं। ग्राम सभा द्वारा सत्यापित और अनुमोदित असंख्य वन अधिकार दावे जो उच्च स्तरीय समितियों में लंबित पड़े हैं और या गलत तरीके से निरस्त किये गए हैं इसका पर्याप्त प्रमाण हैं। वन अधिकार कानून के मामले में, जहाँ यह विरोध एक व्यवस्थित और ढांचगत रूप से किये कानूनी उल्लंघन के रूप में हुआ है। वहीं PESA के सन्दर्भ में, किसी भी अनुसूचित क्षेत्र राज्य ने PESA के अनुसार राज्य पंचायत अधिनियम से भिन्न कोई पुष्टिकरण कानून पारित नहीं किया। सभी राज्य पंचायत कानूनों में किए गए संशोधनों में PESA के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान को ही हटा दिया गया, जिसमें उच्च संरचनाओं द्वारा निचली संरचनाओं की शक्तियों का अतिक्रमण न करने और पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभा से ऊपर छठी अनुसूची के पैटर्न को अपनाने की बात कही गई है। सभी १० अनुसूचित क्षेत्र राज्यों और केंद्र सरकार ने PESA की भावना और सिद्धांतों को कमजोर और गलत तरीके से व्याख्या करके इसे केवल

नियम बनाने तक सीमित कर दिया। पंचायत राज मंत्रालय ने 2009 में एक आदर्श PESA नियम जारी करके राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश देने का प्रयास किया। हालांकि नियम बनाने की प्रक्रिया 15 वर्षों से लंबित रही, जिससे चलते अधिनियम क्रियान्वयन ही नहीं हो सका। अंततः 2011 में इसे अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू हुई; जिसमें ओडिशा ने अभी तक PESA नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।

दक्षिणपंथी ताकतों ने अपनी विचारधारा से सहमत अधिकारियों/व्यक्तियों को नियुक्त करके देश भर में मौजूदा लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रशासन में घुसपैठ करने की रणनीति अपनाई है। टास्क फोर्स गठित करके, उन्होंने अब एक नई रणनीति शुरू की है - मौजूदा संरचनाओं और वैधानिक संस्थानों को निष्क्रिय करने के लिए समानांतर संरचनाएं (जिनके शीर्ष पर उनके लोग हैं) स्थापित करना। आरएसएस द्वारा दो प्रमुख कानूनों को तोड़-मरोड़ कर हथियाया जा रहा है, जबकि समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों को दमनकारी, ध्यान भटकाने वाली और चुनावी तानाशाही की नई सामान्य पद्धति का उपयोग करके केंद्र सरकार नित्तियों और , राज्य की सशस्त्र शक्ति का उपयोग करके अपने पसंदीदा कॉरपरेट घरानों को तेजी से हस्तांतरित कर रही है।

आखिर क्या है ये छत्तीसगढ़ टास्क फोर्स?

अगले दो वर्षों के लिए कार्यरत इस टास्क फोर्स में 18 सदस्य शीर्ष समिति और 12 सदस्य क्रियान्वयन समिति में शामिल हैं। टास्क फोर्स का काम सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर/CFRR) क्षेत्रों का जिलावार संभावित मानचित्रण करना और संभावित क्षेत्रों की सूची तैयार करना ; लंबित सीएफआरआर दावों की समीक्षा करना; जिला पंचायतों को पेसा से संबंधित विषयों और जिला स्तरीय समितियों एवं अन्य संबंधित विभागों को वन अधिकार क़ानून से संबंधित विषयों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए रणनीतियाँ और कार्य योजना प्रदान करना है। राज्य सरकार और उसके विभिन्न संबंधित विभागों को शीर्ष समिति द्वारा तैयार और प्रस्तावित कार्य योजना, रणनीतियों और दिशा-निर्देशों/निर्देशों को लागू करना है। साथी ही इस टास्क फोर्स को प्रशासनिक समन्वय के माध्यम से इन निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा और निगरानी करनी है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति में पंचायती एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कल्याण और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभागों के प्रभारी मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य, गैर सरकारी संगठन और आरएसएस से सम्बंधित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम (ABVKA) के सदस्य शामिल हैं। क्रियान्वयन समिति में अधिकतर वन, राजस्व, जनजातीय कल्याण और पंचायती राज जैसे विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। यहाँ तक कि क्रियान्वयन समिति के एक चौथाई सदस्य वन विभाग से हैं, वही विभाग जिन्होंने 15.05.2025 को स्वयं को सीएफआरआर कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित करते हुए छत्तीसगढ़ में सीएफआरआर के सभी अधिकारों को रद्द करने की मांग की थी। आदिवासी और वन अधिकार संगठनों के विरोध के बाद ही वन विभाग द्वारा उक्त पत्र वापस लिया गया था।

मध्य प्रदेश टास्क फोर्स: अब तक क्या हुआ और इसके जमीनी प्रभाव?

मध्य प्रदेश में 2024 में गठित टास्क फोर्स की संरचना भी छत्तीसगढ़ की टास्क फोर्स के समान है , जिसमें 6 सदस्यीय सर्वोच्च समिति और 13 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ टास्क फोर्स से अलग मध्य प्रदेश टास्क फोर्स में पंचायती और ग्रामीण विकास विभागों के प्रभारी मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य, वनवासी कल्याण आश्रम और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि को यहाँ पर क्रियान्वयन समिति के सदस्य के रूप में रखा गया है न कि सर्वोच्च समिति के। 28.12.2024 को हुई टास्क फोर्स की बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई: (i) राज्य में सीएफआरआर के क्रियान्वयन में तेजी लाने और पेसा ग्राम सभाओं के गठन के लिए एक वर्ष का विशेष कार्यक्रम शुरू

करना, (ii) वन मित्र ऐप को और अधिक सशक्त बनाते हुए दावों के ऑफलाइन आवेदन की अनुमति देना और सीएफआरआर को ऑनलाइन दाखिल करने का प्रावधान करना, (iii) राज्य, जिला और उप-मंडल स्तर पर एफआरए सेल के गठन में तेजी लाना और "एफआरए विशेषज्ञों" द्वारा एफआरए पर प्रशिक्षण आयोजित करना। इसके अतिरिक्त, वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक उप-समिति का गठन भी किया गया , जिसने 04.03.2025 को एक बैठक में इस मुद्दे और इससे संबंधित चुनौतियों पर विचार-विमर्श भी किया था।

लेकिन, दो साल बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश टास्क फोर्स ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने या व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने में कोई प्रगति नहीं की है। वन अधिकार दावे अभी भी लंबित और अस्वीकृत हैं, निरस्त हुए दावों की समीक्षा प्रक्रिया अभी भी अवैधताओं और उल्लंघनों से ग्रस्त है, FRA पर आयोजित प्रशिक्षण केवल नाममात्र के रह गए हैं, वन विभाग खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हुए अधिकार धारकों को बेदखल कर रहा है या उनकी भूमि और संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर रहा है, संरक्षित क्षेत्रों और बाघ अभ्यारण्यों में FRA का अनुपालन और क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के बजाय उपग्रह का उपयोग करके की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप गलत सीमांकन और क्षेत्रफल में कमी हो रही है। राज्य स्तर निगरानी समिती अभी भी निष्क्रिय है और उसे सक्रीय करने के बजाय राज्य सरकार 'टास्क फोर्स' और "वन अधिकार अधिनियम" विशेषज्ञों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करती है। आरएसएस के सम्बन्धी संगठन जिनमें वनवासी कल्याण आश्रम (एबीवीकेए) और जनजातीय सुरक्षा मंच (JSM) के पदाधिकारी, उनसे जुड़े गैर-सरकारी संगठन एवं अन्य और आरएसएस-भाजपा-एबीवीकेए कैडर से संबंधित व्यक्ति इन टास्क फोर्स, एफआरए सेल और पेसा मोबिलाईज़र पर हावी हैं और इन संस्थागत पदों का इस्तेमाल वे आदिवासी क्षेत्रों और वन अधिकार एवं पेसा के चर्चा में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं।

कानूनी और संस्थागत उल्लंघन

वन अधिकार अधिनियम (FRA) गांव स्तर पर ग्राम सभाओं और वन अधिकार समितियों, फिर उप-मंडल और जिला स्तरीय समितियों (SDLC, DLC) और फिर राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (SLMC) के रूप में बहुस्तरीय वैधानिक संस्थागत ढांचा स्थापित करता है। कानून के तहत राज स्तरीय निगरानी समिति को वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया की निगरानी करने, इसके लिए मानदंड निर्धारित करने और उल्लंघनों के विरुद्ध शिकायतों और आपत्तियों को सुनने का प्राधिकार सौंपा गया है। लेकिन यह समितियां अब कार्यात्मक नहीं हैं, विभाजित हो चुकी है और टास्क फोर्स जो केवल एक प्रशासनिक रूप से गठित निकाय है, में समाहित हो गई हैं।

टास्क फोर्स ने अवैध रूप से वैधानिक निकायों, जैसे कि एसएलएमसी (SLMC), के कार्यों व् प्राधिकारों पर कब्ज़ा कर लिया है और एसडीएलसी और डीएलसी को दरकिनार करते हुए अगले दो वर्षों के लिए उन्हें प्रशासनिक रूप से निष्क्रिय कर दिया है। कई राज्यों में अभी तक एसएलएमसी का गठन नहीं हुआ है और जहाँ इनका गठन हो चुका है, वहाँ ये अपनी अपेक्षित भूमिकाओं और कार्यों को निभाने में विफल रही हैं। राज्य सरकारें इन्हें स्थापित करने, सक्रिय करने और मजबूत बनाने के बजाय प्रभावी कार्यान्वयन के बहाने एक नया समानांतर संस्थागत ढांचा बना रही हैं। वास्तव में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 24.02.2026 को सभी राज्य सरकारों को एक पत्र जारी कर ये स्वीकार किया कि क़ानून के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का एक मुख्य कारण वैधानिक समितियों की बैठकों के अनियमित आयोजन हैं, और सभी राज्यों को एसडीएलसी, डीएलसी और विशेष रूप से एसएलएमसी की नियमित बैठकें बुलाने का निर्देश दिया।

पर्यावरण मंत्रालय, PESA और FRA के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले केंद्रीय कानूनों में सुधार और ना ही इन कानूनों को सुव्यवस्थित करने के लिए अभी तक कोई संशोधन तैयार कर पाया है । यह भी एक स्थापित तथ्य है कि वन मंत्रालय और वन विभाग संस्थागत और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से देश भर में लगातार FRA और

PESA का उल्लंघन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अभी तक राज्य सूची के तहत आने वाले विषयों पर बने कानूनों में उन प्रावधानों की पहचान और संशोधन नहीं किए हैं जो PESA और FRA का पालन नहीं करते और ना ही उन दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक आदेशों को वापस लेकर, नए उपयुक्त दिशा-निर्देश और आदेश जारी नहीं किए हैं। नोडल मंत्रालय, MoTA ने स्वयं अपनी भूमिका पर्यावरण मंत्रालय के सामने समर्पित कर दी है, जैसा कि यहां और यहां विस्तार से बताया गया है।

राजनैतिक परिदृश्य और मंशा स्पष्ट है:

PESA और FRA, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से ग्राम सभा को लोकतांत्रिक व विकेन्द्रित शासन के लिए सशक्त बनाते हैं, उन्हें नौकरशाही-राजनैतिक गठजोड़ के माध्यम से फिक्स्ड लक्ष्यों, समय सीमाओं और धन आवंटन वाली लाभार्थी योजनाओं के रूप में प्रस्तुत और बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में टास्क फोर्स का गठन एकमात्र हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष २०२४ में शुरू की गई धरती आभा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) योजना पहले से ही इस तकनीकी-प्रबंधकीय नौकरशाही दृष्टिकोण को औपचारिक रूप दे रही है, जिसके तहत ग्राम सभाओं के प्राधिकार को FRA सेल्स , PESA मोबिलाइज़र जैसी समानांतर संस्थागत संरचनाओं एवं RSS से संबद्ध संगठनों, गैर सरकारी संगठनों , वन नौकरशाही , तकनीकी विशेषज्ञता, डिजिटलीकरण की बढ़ती भूमिकाओं द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। इन चिंताओं और उल्लंघनों का विस्तृत विवरण 21.08.2025 के इस ज्ञापन में दिया गया है।

वर्तमान सत्ताधारी दल 'अधिकारों और अधिकार-आधारित दृष्टिकोणों' की अवधारणा के प्रति अपनी घोर घृणा को स्पष्ट व्यक्त कर चुका है । एक तरह से, यह दल केवल 'कर्तव्यों' पर जोर देकर भारत को पूरी तरह से 'आज्ञाकारी समाज' बनाना चाहता है। साथ ही , हमारे देश की आर्थिक नीतियों के मूल सिद्धांत, चाहे मौद्रिक हों या राजकोषीय, मित्रवाद पूंजी (क्रोनी केपिटल/ सहचर पूंजीवाद) की ओर अत्यधिक झुक गए हैं; हमारी व्यापार और विदेश नीति धीरे-धीरे अमेरिका-इजराइल गठबंधन से जुड़ती जा रही है, और विशेष रूप से, भारत और अमरीका के बीच अगले 5 वर्षों के लिए 500 अरब डॉलर मूल्य के सामान और सेवाओं के आयात हेतु अभी हाल ही में हुआ व्यापार समझौता, भारत की लोकतांत्रिक शासन स्थिति को और बिगाड़ देगा - आगे बढ़ते हुए शासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव आएंगे, जो हमारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में शासन के मापदंडों, धन और सत्ता के वितरण को बुरी तरह प्रभावित करेंगे।

वन अधिकार क़ानून और पेसा कानून , औपनिवेशिक और आजादी काल में हुए संस्थागत और नीतिगत अन्याय के विरुद्ध जन संघर्ष के फलस्वरूप अस्तित्व में आए और इनका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय संविधान के अंतर्गत परिकल्पित शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक, विकेन्द्रित और स्वाशासित बनाना है। केंद्र और राज्य सरकारें, आदिवासी और अन्य वन व् संसाधन आश्रित समुदायों और उनके सामुदायिक संसाधनों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए वैधानिक संस्थागत ढांचों का दुरुपयोग कर इन कानूनों को कमजोर कर रही हैं। हम इन हस्तक्षेपों की कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को इन गैर-वैधानिक टास्क फोर्स को प्राथमिक के साथ भंग कर देना चाहिए और वन अधिकार व पेसा क़ानून के अंतर्गत निहित वैधानिक संस्थाओं को कानून के अक्षर और मंशा के अनुरूप मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(31.05.2026)

- शंकर गोपालकृष्णन
संयोजक-समूह की ओर से

(7409315867, 9575179588, 9421549824, 8217226256, 7728974246, 9843172584)